न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 8/2023

अनवान :

1. संजय कुमार पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. सुनील कुमार पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।

:— **वादीगण**

बनाम

1. भादरराम पुत्र धर्माराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. कविता पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
3. रेनुदेवी पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री बलवन्त सिंह एवं वकील प्रतिवादीगण श्री इन्द्रसिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक ईकबालदावा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भिरानी के खाता सं0 205/346 के मु0 नं0 327 के कि0 नं0 21/1, 21/2, 22, 23 मु0 नं0 358 के कि0 नं0 6 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 से 25 मु0 नं0 359 के कि0 नं0 1, 2, 9, 10, 11, 20 ता 23 की कुल 8.0960 है0 वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/32 हिस्सा, खाता संख्या 235/240 के मु0 नं0 59 के कि0 नं0 6/1, 7 ता 10 मु0 नं0 60 के कि0 नं0 2, 9, 10 मु0 नं0 415 के कि0 नं0 11 की कुल 2.1510 है0 वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 58/717 हिस्सा, खाता संख्या 410/612 के मु0 नं0 39 के कि0 नं0 22 ता 25, मु0 नं0 59 के कि0 नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 व 6/2 की कुल 2.4030 है0 वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/8 हिस्सा तथा खाता संख्या 471/172 के मु0 नं0 59 के कि0 नं0 11, 12, 19 ता 22 मु0 नं0 442 के कि0 नं0 15, 16, 17, 24, 25, मु0नं0 443 के कि0नं0 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, मु0 नं0 444 के कि0 नं0 11, 19, 20, 21, 22 कुल क्षेत्रफल 7.8430 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 भादरराम अकेले की बजाय वादी संख्या 1 संजय कुमार व वादी संख्या 2 सुनील कुमार संयुक्त रूप से 4/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी संख्या 1 भादरराम 1/5 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 तथा 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के [illegible] राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष [illegible] वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.09.04 13:40:53 IST
Reason: SelfAttested

(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 8/2023

अनवान :

1. संजय कुमार पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. सुनील कुमार पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।

:— **वादीगण**

बनाम

1. भादरराम पुत्र धर्माराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. कविता पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
3. रेनुदेवी पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री बलवंत सिंह **: वादी**

वकील श्री इन्द्रसिंह **: प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

दिनांक : 22.08.24

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भिरानी के खाता सं0 205/346 के मु0 नं0 327 के कि0 नं0 21/1, 21/2, 22, 23 मु0 नं0 358 के कि0 नं0 6 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 से 25 मु0 नं0 359 के कि0 नं0 1, 2, 9, 10, 11, 20 ता 23 की कुल 8.0960 है0 वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/32 हिस्सा, खाता संख्या 235/240 के मु0 नं0 59 के कि0 नं0 6/1, 7 ता 10 मु0 नं0 60 के कि0 नं0 2, 9, 10 मु0 नं0 415 के कि0 नं0 11 की कुल 2.1510 है0 वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 58/717 हिस्सा, खाता संख्या 410/612 के मु0 नं0 39 के कि0 नं0 22 ता 25, मु0 नं0 59 के कि0 नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 व 6/2 की कुल 2.4030 है0 वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/8 हिस्सा तथा खाता संख्या 471/172 के मु0 नं0 59 के कि0 नं0 11, 12, 19 ता 22 मु0 नं0 442 के कि0 नं0 15, 16, 17, 24, 25, मु0नं0 443 के कि0नं0 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, मु0 नं0 444 के कि0 नं0 11, 19, 20, 21, 22 कुल क्षेत्रफल 7.8430 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।वादभूमि पहले वादीगण के दादा धर्माराम की खातेदारी हुआ करती थी जो धर्माराम के देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या [illegible] होने के चलते प्राप्त हुई है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादीगण [illegible] हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा [illegible] गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया [illegible] वादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी [illegible] 1 ता 3 द्वारा इकबालदावा पेश किया गया। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.09.04 13:40:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamSca

साक्ष्य वादी में सुनील कुमार पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा भिरानी खाता संख्या 205/346 संवत 2074–2077 प्रदर्श 1, खाता संख्या 235/240 संवत 2074–2077 प्रदर्श 2, खाता संख्या 471/172 संवत 2074–2077 प्रदर्श 3, खाता संख्या 361–346 संवत 2074–2077 प्रदर्श 4, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भिरानी प्रदर्श 5 तथा शपथ सुनील कुमार पुत्र भादरराम प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम भिरानी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 6 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा भिरानी के खाता सं0 205/346 के मु0 नं0 327 के कि0 नं0 21/1, 21/2, 22, 23 मु0 नं0 358 के कि0 नं0 6 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 से 25 मु0 नं0 359 के कि0 नं0 1, 2, 9, 10, 11, 20 ता 23 की कुल 8.0960 है0 वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/32 हिस्सा, खाता संख्या 235/240 के मु0 नं0 59 के कि0 नं0 6/1, 7 ता 10 मु0 नं0 60 के कि0 नं0 2, 9, 10 मु0 नं0 415 के कि0 नं0 11 की कुल 2.1510 है0 वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 58/717 हिस्सा, खाता संख्या 410/612 के मु0 नं0 39 के कि0 नं0 22 ता 25, मु0 नं0 59 के कि0 नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 व 6/2 की कुल 2.4030 है0 वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/8 हिस्सा तथा खाता संख्या 471/172 के मु0 नं0 59 के कि0 नं0 11, 12, 19 ता 22 मु0 नं0 442 के कि0 नं0 15, 16, 17, 24, 25, मु0नं0 443 के कि0नं0 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, मु0 नं0 444 के कि0 नं0 11, 19, 20, 21, 22 कुल क्षेत्रफल 7.8430 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 भादरराम अकेले की बजाय वादी संख्या 1 संजय कुमार तथा वादी संख्या 2 सुनील कुमार को संयुक्त रूप से 4/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी संख्या 1 भादरराम को 1/5 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 तथा 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.09.04 13:40:53 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण [illegible] बालदावा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भिरानी के खाता 205/346 के मु0 नं0 327 के कि0 नं0 21/1, 21/2, 22, 23 मु0 नं0 358 के कि0 नं0 6 ता 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22 से 25 मु0 नं0 359 के कि0 नं0 1, 2, 9, 10, 11, 20 ता 23 की कुल 8.0960 है0 वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/32 हिस्सा, खाता संख्या 235/240 के मु0 नं0 59 के कि0 नं0 6/1, 7 ता 10 मु0 नं0 60 के कि0 नं0 2, 9, 10 मु0 नं0 415 के कि0 नं0 11 की कुल 2.1510 है0 वादभूमि में प्रतिवादी

संख्या 1 के नाम 58/717 हिस्सा, खाता संख्या 410/612 के मु0 नं0 39 के कि0 नं0 22 ता 25, मु0 नं0 59 के कि0 नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2 व 6/2 की कुल 2.4030 है0 वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/8 हिस्सा तथा खाता संख्या 471/172 के मु0 नं0 59 के कि0 नं0 11, 12, 19 ता 22 मु0 नं0 442 के कि0 नं0 15, 16, 17, 24, 25, मु0नं0 443 के कि0नं0 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25, मु0 नं0 444 के कि0 नं0 11, 19, 20, 21, 22 कुल क्षेत्रफल 7.8430 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त सम्पूर्ण वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 भादरराम अकेले की बजाय वादी संख्या 1 संजय कुमार व वादी संख्या 2 सुनील कुमार को संयुक्त रूप से 4/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादी संख्या 1 भादरराम को 1/5 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 तथा 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.09.04 13:40:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner